IDBI BANK

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड, मुंबई-400 005, वेबसाइट : www.idbi.com

डाक मतपत्र सूचना

प्रिय सदस्य(यो),

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि समय-समय पर यथा संशोधित कंपनी (डाक मतपत्र द्वारा संकल्प पारित करना) नियम, 2011 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 192ए के अनुसरण में नीचे प्रस्तुत संकल्प को डाक मतपत्र के जरिए एक विशेष संकल्प के रूप में पारित करने का प्रस्ताव है:-

विशेष कारोबार

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना एक विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:

''**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 81(1ए) और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949, बैंक के संस्था अंतर्नियम, सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 और अन्य लागू विधियों, यदि कोई हो, के अनुसरण में तथा भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक (**रिजर्व बैंक**), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (**सेबी**) और/अथवा इस संबंध में अपेक्षित किसी अन्य सांविधिक निकाय, यदि कोई हो, के अनुमोदन के अधीन और ऐसे अनुमोदन प्रदान करने के लिए उनके द्वारा निर्धारित ऐसे निबंधनों, शर्तों तथा संशोधनों के अधीन बैंक के निदेशक मंडल को सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के अनुसार दिनांक 22 नवंबर 2013 (संगत तारीख) को गणना किये गये मूल्य पर सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के अध्याय VII के प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार को ₹ 2,300 करोड़ की राशि तक (प्रीमियम राशि सहित) ₹ 10/- प्रत्येक अंकित मूल्य के शेयर प्रस्तावित, जारी व आबंटित करने के लिए बैंक के सदस्यों की सहमति दी जाए और एतद्द्वारा दी जाती है, उपर्युक्त अधिमान्य आबंटन के लिए जारी की गई वास्तविक पूंजी की राशि बैंक की मौजूदा चुकता इक्विटी पूंजी में जोड़ी जाएगी.''

''**यह भी संकल्प किया जाता है कि** बैंक के निदेशक मंडल को ऐसे सभी कृत्य, कार्य या अन्य चीज़ें, जो उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए अपेक्षित हों या आवश्यक समझी जाएं या उनसे प्रासंगिक हों, करने या करवाने के लिए इस संबंध में अपने प्राधिकार को बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा बैंक के किसी अन्य निदेशक अथवा अधिकारी को प्रत्यायोजित करने सहित प्राधिकृत किया जाए तथा एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है.''

बोर्ड के आदेश से
कृते **आईडीबीआई बैंक लिमिटेड**

(पवन अग्रवाल)
कंपनी सचिव

स्थान : मुंबई
दिनांक : 30 अक्तूबर 2013

IDBI BANK

IDBI BANK LIMITED

Regd. Office: IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade,
Mumbai-400 005. Website: www.idbi.com

Postal Ballot Notice

Dear Member(s),

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT pursuant to Section 192A of the Companies Act, 1956, read with the Companies (passing of the resolution by postal ballot) Rules, 2011, as amended from time to time, the resolution appended below is proposed to be passed as a special resolution by way of Postal Ballot:-

Special Business

To consider and, if thought fit, to pass, with or without modification(s) the following resolution as a Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to section 81(1A) and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 1956, the Banking Regulation Act, 1949, Articles of Association of the Bank, SEBI (ICDR) Regulations, 2009 and other applicable law(s), if any and subject to approvals of Government of India **(GoI)**, Reserve Bank of India **(RBI)**, Securities and Exchange Board of India **(SEBI)** and /or any other statutory/ regulatory authority, if any, as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting their approval, the consent of the Members of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank to offer, issue and allot such number of equity shares of ₹ 10/- each, at a price to be calculated on November 22, 2013 (the relevant date) in terms of SEBI (ICDR) Regulations, 2009 to Government of India aggregating upto ₹ 2,300 crore (inclusive of premium amount) in terms of the provisions of chapter VII of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009, the amount of actual capital issued towards the aforesaid Preferential Allotment to be added to the existing paid-up equity share capital of the Bank.

"RESOLVED FURTHER THAT the Board of Directors of the Bank be and is hereby authorized to do or cause to be done all such acts, deeds and other things including delegating its authority in this regard to the Chairman & Managing Director of the Bank, or any other Director or officer of the Bank as may be required or considered necessary or incidental thereto, for giving effect to the aforesaid resolution"

By Order of the Board,
For **IDBI Bank Limited**

(Pawan Agrawal)
Company Secretary

Place: Mumbai
Dated: October 30, 2013

टिप्पणियां:

1. ऊपर निर्दिष्ट कारोबार के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न हैं.

2. यह सूचना उन सभी सदस्यों को भेजी जा रही है जिनके नाम शुक्रवार, 8 नवंबर 2013 को सदस्यों के रजिस्टर / राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) लिमिटेड (एनएसडीएल) / सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज़ (इंडिया) लिमिटेड (सीएसडीएल) से प्राप्त लाभार्थी स्वामियों की सूची में उपलब्ध हैं. डाक मतपत्र के साथ नोटिस भेजने का कार्य बुधवार दिनांक 20 नवंबर 2013 को पूरा हो जाएगा.

3. कंपनी (डाक मतपत्र द्वारा संकल्प पारित करना) नियम, 2011 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 192ए के अनुसार, उपर्युक्त नोटिस में निर्दिष्ट कारोबार की मद को डाक मतपत्र द्वारा पारित किया जाना है.

4. बैंक ने डाक द्वारा मतदान प्रक्रिया को सही एवं पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए मेसर्स एस.एन. अनंतसुब्रमणियन एंड कं., कंपनी सेक्रेटरीज़ के श्री एस. एन. अनंतसुब्रमणियन को संवीक्षक नियुक्त किया है.

5. बैंक सहर्ष सूचित करता है कि बैंक के सभी सदस्यों के लिए वैकल्पिक रूप में ई-वोटिंग की व्यवस्था की गयी है. इस प्रयोजन के लिए, बैंक ने ई-वोटिंग को सुगम बनाने के लिए एनएसडीएल के साथ एक करार किया है जिससे सदस्य डाक मतपत्र भेजने के बजाए इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान कर सकते हैं. ई-वोटिंग वैकल्पिक है. सदस्यों के लिए ई-वोटिंग हेतु अनुदेश नीचे दिये गये हैं:

 (क) एनएसडीएल से ई-मेल प्राप्त करने वाले सदस्यों के मामले में :

 (i) ई-मेल खोलें और पासवर्ड के रूप में अपने ग्राहक आईडी या फोलियो नं. के माध्यम से पीडीएफ फाइल अर्थात् 'आईडीबीआई बैंक लिमिटेड ई-वोटिंग.पीडीएफ' खोलें. उक्त पीडीएफ फाइल में ई-वोटिंग के लिए आपका यूजर आईडी और पासवर्ड रहेगा. कृपया नोट करें कि पासवर्ड एक प्रारंभिक पासवर्ड है.

 (ii) यूआरएल https://www.evoting.nsdl.com/ को टाइप करते हुए इंटरनेट ब्राउजर को लांच करें.

 (iii) शेयरधारक ''लॉगइन'' पर क्लिक करें.

 (iv) यूजर आईडी और ऊपर चरण (i) में प्रारंभिक पासवर्ड के रूप में नोट किया गया पासवर्ड डालें. लॉगइन को क्लिक करें.

 (v) पासवर्ड बदलने का मेन्यु दिखाई देगा. इस पासवर्ड को अपनी पसन्द के न्यूनतम 8 अंकों / वर्णों अथवा उनके समूहन के नये पासवर्ड से बदलें. कृपया नये पासवर्ड को नोट कर लें. इसकी पुरज़ोर सिफारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी दूसरे व्यक्ति को न बताएं और अपने पासवर्ड को पूर्णतया गोपनीय रखें.

Notes:

1. An Explanatory Statement pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013, in respect of the business specified above is annexed hereto.

2. The Notice is being sent to all Members, whose names appear on the Register of members/List of Beneficial Owners as received from National Securities Depository Limited (NSDL)/Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as on Friday, November 08, 2013. The dispatch of notice along with postal ballot will be completed on Wednesday, November 20, 2013.

3. In terms of Section 192A of the Companies Act, 1956 read with the Companies (passing of the resolution by Postal Ballot) Rules, 2011, the item of business set out in the Notice above is sought to be passed by Postal Ballot.

4. The Bank has appointed Shri S.N.Ananthasubramanian of M/s S.N.Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot process in a fair and transparent manner.

5. The Bank is pleased to offer e-voting as an alternate, for all Members of the Bank. For this purpose, the Bank has entered into an agreement with NSDL for facilitating e-voting to enable the Members to cast their votes electronically instead of dispatching Postal Ballot Form. E-voting is optional. The instructions for Members for e-voting are given as under:

 (a) In case of Members receiving e-mail from NSDL :

 (i) Open e-mail and open PDF file viz; 'IDBI Bank Limited e-Voting. pdf' with your Client ID or Folio No. as password. The said PDF file contains your user ID and password for e-voting. Please note that the password is an initial password.

 (ii) Launch internet browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com

 (iii) Click on Shareholder "Login"

 (iv) Put your user ID and password as initial password noted in step (i) above. Click Login.

 (v) Password change menu appears. Change the password with new password of your choice with minimum 8 digits/ characters or combination thereof. Please take note of the new password. It is strongly recommended that you do not share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

(vi) 'ई-वोटिंग' का होम पेज खुल जाएगा. 'ई-वोटिंग' एक्टिव वोटिंग सायकल्स पर क्लिक करें.

(vii) आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के "EVEN" को सिलेक्ट करें.

(viii) अब 'Cast Vote' पेज खुलते ही आप 'ई-वोटिंग' के लिए तैयार हैं. मतदान अवधि गुरूवार, दिनांक 21 नवंबर 2013 को खुलकर शुक्रवार, दिनांक 20 दिसंबर 2013 को समाप्त होगी.

(ix) उपयुक्त विकल्प चुनते हुए अपना मत दें और 'Submit' पर तथा प्रॉम्प्ट किये जाने पर 'Confirm' पर भी क्लिक करें.

(x) पुष्टिकरण के बाद 'Vote cast successfully' संदेश दिखाई देगा.

(xi) यदि आपने संकल्प पर अपना मत एकबार दे दिया है तो आपको अपना मत बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

(xii) संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि से भिन्न) से अपेक्षित है कि वे संवीक्षक को मतदान करने के लिए विधिवत् प्राधिकृत हस्ताक्षरी(यों) के अनुप्रमाणित नमूना हस्ताक्षर के साथ संबंधित बोर्ड संकल्प / प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन कॉपी (पीडीएफ / जेपीजी फॉर्मेट) ईमेल scrutinizer@snaco.net के माध्यम से भेजें और उस मेल की प्रति evoting@nsdl.co.in को भी भेजें.

(ख) डाक द्वारा डाक मतपत्र फॉर्म पाने वाले सदस्यों के मामले में:

(i) प्रारंभिक पासवर्ड निम्नलिखित रूप में / डाक मतपत्र फॉर्म के निचले भाग में उपलब्ध होगा :

ईवीईएन (ई वोटिंग इवेंट नंबर)	यूजर आईडी	पासवर्ड / पिन

(ii) कृपया मतदान करने के लिए ऊपर पैरा 5(क) के क्रम संख्या (ii) से क्रम संख्या (xii) तक सभी कदमों का अनुसरण करें.

(ग) किसी प्रश्न या स्पष्टीकरण के मामले में, कृपया www.evoting.nsdl.com के "downloads" खंड पर उपलब्ध सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) तथा सदस्यों के लिए ई-वोटिंग प्रयोक्ता मैनुअल का संदर्भ लें या evoting@nsdl.co.in पर मेल भेजें तथा 022-24994600 पर फोन करें.

(घ) यदि आप ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल में पहले से ही पंजीकृत हैं तो आप वोट देने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी तथा पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं और दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है.

(vi) Home page of 'eVoting' opens. Click on "e-Voting" Active Voting Cycles.

(vii) Select "EVEN" of IDBI Bank Limited.

(viii) Now you are ready for 'e-Voting' as 'Cast Vote' page opens. Voting period commences on and from Thursday, November 21, 2013 and ends on Friday, December 20, 2013

(ix) Cast your vote by selecting appropriate option and click on 'Submit' and also 'Confirm' when prompted.

(x) Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.

(xi) Once you have voted on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

(xii) Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail to scrutinizer@snaco.net with a copy marked to evoting@nsdl.co.in.

(b) In case of Members receiving Postal Ballot Form by Post:

(i) Initial password is provided as below/at the bottom of the Postal Ballot form.

EVEN (E VOTING EVENT NUMBER)	USER ID	PASSWORD/PIN

(ii) Please follow all steps from Sl. No. (ii) to Sl. No. (xii) of para 5(a) above, to cast vote.

(c) In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting user manual for Members available at the "downloads" section of www.evoting.nsdl.com or e-mail at evoting@nsdl.co.in and call 022-24994600.

(d) If you are already registered with NSDL for e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote and there is no need to register once again.

(ङ) आप फोलियो के प्रयोक्ता प्रोफाइल विवरण में अपने मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी को अद्यतन भी कर सकते हैं जिनका भविष्य में कोई संदेश भेजने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.

6. जिन सदस्यों ने कंपनी कार्य मंत्रालय की हरित पहल के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप में दस्तावेज प्राप्त करने के लिए अपना ईमेल पता रजिस्टर करवाया है, उन्हें ईमेल द्वारा डाक मतपत्र की सूचना भेजी जा रही है और अन्य सदस्यों को डाक मतपत्र फॉर्म के साथ डाक द्वारा सूचना भेजी जा रही है.

7. जिन सदस्यों को ईमेल द्वारा डाक मतपत्र सूचना प्राप्त हुई है और जो भौतिक स्वरूप में डाक मतपत्र फॉर्म के जरिए अपना मतदान करना चाहते हैं, वे www.evoting.nsdl.com या www.idbi.com से डाक मतपत्र फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं या बैंक के रजिस्ट्रार एवं ट्रान्सफर एजेंट अर्थात् कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि., यूनिट : आईडीबीआई ईक्विटी, प्लॉट नं. 17-24, विठ्ठल राव नगर, माधापुर, हैदराबाद अथवा आईडीबीआई बैंक लि., ईक्विटी कक्ष, बोर्ड विभाग, 20वीं मंजिल, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400 005 से डुप्लीकेट डाक मतपत्र फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं और उसमें आवश्यक ब्यौरे भरकर उसे संवीक्षक के पास भेज सकते हैं.

8. कृपया नोट करें कि सदस्य वोटिंग के लिए सिर्फ एक तरीके अर्थात् या तो भौतिक मतपत्र द्वारा या ई-वोटिंग का चुनाव कर सकते हैं. यदि सदस्य दोनों तरीकों से मतदान करते हैं तो भौतिक डाक मतपत्र के जरिए दिया गया वोट अभिभावी होगा और ई-वोटिंग के जरिए किये गये मतदान को अवैध माना जाएगा.

9. मतदान की अवधि गुरूवार, 21 नवंबर 2013 से शुरू होकर शुक्रवार, 20 दिसंबर 2013 को समाप्त होगी. ई-वोटिंग मॉड्यूल को भी उसके बाद एनएसडीएल द्वारा वोटिंग के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा.

10. भौतिक स्वरूप में डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि संलग्न डाक मतपत्र फॉर्म में छपे हुए अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें.

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण

1. भारत सरकार ने 22 अक्तूबर 2013 के अपने पत्र के जरिए पूंजी सहायता के प्रति वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान आईडीबीआई बैंक लिमिटेड में ₹ 1,800 करोड़ की पूंजी लगाने के अपने इरादे की सूचना दी है जिससे बैंक अपनी न्यूनतम टियर I पूंजी बढ़ा सके. ऐसी संभावना है कि भारत सरकार अपने पूंजी निवेश को ₹ 500 करोड़ तक और बढा सकती हैं। अतः इस संबंध में अधिमान्य आबंटन आधार पर भारत सरकार को ₹ 2,300 करोड़ की राशि तक (प्रीमियम राशि सहित) के लिए सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के अनुसार 22 नवंबर 2013 (संगत तारीख) को गणना किये जाने वाले मूल्य पर ₹ 10 प्रत्येक मूल्य के ईक्विटी शेयर प्रस्तावित, जारी तथा आबंटित करने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 81(1ए) और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, के अंतर्गत शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव है. सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के अध्याय VII के प्रावधानों के

(e) You can also update your mobile number and e-mail id in the user profile details of the folio which may be used for sending future communication(s).

6. Members who have registered their email ids for receipt of documents in electronic mode under the Green Initiative of Ministry of Corporate Affairs are being sent Notice of Postal Ballot by e-mail and others are being sent by post along with the Postal Ballot Form.

7. Members, who have received the Postal Ballot Notice by email and who wish to vote through Physical Postal Ballot Form, can download Postal Ballot Form from www.evoting.nsdl.com or www.idbi.com or seek duplicate Postal Ballot Form from Registrar & Transfer Agents of the Bank, viz., Karvy Computershare Pvt. Ltd., Unit : IDBI Equity, Plot No.17-24, Vithal Rao Nagar, Madhapur, Hyderabad or from IDBI Bank Limited, Equity Cell, Board Department, 20th Floor, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai – 400 005, fill in the details and send the same to the Scrutinizer.

8. Kindly note that the Members can opt only one mode of voting i.e. either by Physical Ballot or e-voting. In case Members cast their votes through both the modes, votes cast through Physical Postal Ballot Form shall prevail and voting done by e-voting will be treated as invalid.

9. The voting period starts from Thursday, November 21, 2013 and ends on Friday, December 20, 2013. The e-voting module shall also be disabled by NSDL for voting thereafter.

10. Members desiring to exercise vote by physical postal ballot are requested to carefully read the instructions printed on the attached Postal Ballot Form.

Explanatory Statement pursuant to section 102 of the Companies Act, 2013

1. To enable the Bank to enhance its minimum Tier I capital, Govt. of India, vide letter dated October 22, 2013, has conveyed its intention to infuse capital to the tune of ₹ 1,800 crore in IDBI Bank Limited during FY 2013-14 towards capital support. It is likely that GoI may further enhance its capital infusion upto additional ₹ 500 crore. It is, therefore, proposed to obtain shareholders' approval under section 81(1A) of the Companies Act, 1956 and other applicable provisions, if any, to offer, issue and allot such number of equity shares of ₹ 10/- each at a price to be calculated in terms of SEBI (ICDR) Regulations, 2009 as on November 22, 2013 (the Relevant Date) to Govt. of India aggregating upto ₹ 2,300 crore (inclusive of premium amount) on Preferential Allotment Basis. In terms of the provisions of chapter VII of SEBI (ICDR) Regulations, 2009, the Preferential Allotment of shares is required to be

अनुसार शेयरधारकों द्वारा संकल्प को पारित करने की तारीख से 15 दिनों की अवधि के भीतर अथवा भारत सरकार और/ या अन्य वैधानिक/ विनियामक अनुमोदन, यदि कोई हो, प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर, जो भी बाद में हो, शेयरों का अधिमान्य आबंटन पूरा हो जाना चाहिए. बैंक में भारत सरकार (प्रवर्तक) की शेयरधारिता 71.72% है. सूचीबद्धता करार की धारा 40ए के साथ पठित प्रतिभूति संविदा (विनियम) नियम, 1957 के नियम 19ए के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में प्रवर्तकों की शेयरधारिता शेयर पूंजी के 90% की सीमा तक अनुमत है.

2. इसके अलावा, सेबी (आईसीडीआर) विनियम 2009 की धारा 73 के अतंर्गत अधिमान्य आबंटन से संबंधित विशेष प्रकटनों का उल्लेख शेयरधारकों को भेजे जा रहे व्याख्यात्मक विवरण में किया जाना है जो कि शेयरधारकों की जानकारी के लिए यहाँ नीचे दिए जा रहे हैं:

धारा सं.	किया जाने वाला प्रकटन	अनुपालन
73(1)(ए)	**अधिमान्य निर्गम का उद्देश्य**	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक की पूंजी पर्याप्तता की गणना करते हुए इसमें वृद्धि करना.
73(1)(बी)	**ऑफर में अभिदान करने के लिए प्रवर्तकों, निदेशकों या निर्गमकर्ता के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का प्रस्ताव**	प्रर्वतक भारत सरकार ने दिनांक 22 अक्तूबर 2013 के अपने पत्र के जरिए वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान आईडीबीआई बैंक लिमिटेड में ₹ 1,800 करोड़ की पूंजी लगाने का अपना इरादा सूचित किया है. ऐसी संभावना है कि भारत सरकार अपने पूंजी निवेश को ₹ 500 करोड़ तक और बढा सकती हैं।
73(1)(सी)	**अधिमान्य निर्गम से पहले और बाद में निर्गमकर्ता की शेयरधारिता का स्वरूप.**	अधिमान्य निर्गम से पहले आईडीबीआई बैंक लि. की शेयरधारिता का स्वरूप (यथा 25 अक्तूबर 2013 को) :

	शेयरों की सं.	प्रतिशत
प्रवर्तक (भारत सरकार)	955852609	71.72
अन्य	376920638	28.28
कुल	1332773247	100.00

अधिमान्य निर्गम के बाद भारत सरकार की शेयरधारिता इस विशेष संकल्प के अनुसार उन्हें आबंटित किये जाने वाले शेयरों की वास्तविक संख्या के आधार पर बढ़ जाएगी जो बदले में भारत सरकार से ₹ 2,300 करोड़ की राशि तक (प्रीमियम राशि सहित) की वास्तविक अभिदान राशि की तुलना में 22 नवंबर 2013 की संगत तारीख के अनुसार सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के अनुसार गणना किये जाने वाले शेयर के मूल्य पर निर्भर करेगा और 30 अक्तूबर 2013 के इस नोटिस के जारी होने की तारीख से पहले इसका सही-सही निर्धारण नहीं किया जा सकता है.

completed within a period of 15 days from the date of passing of resolution by the shareholders or within 15 days of getting approval of GoI and/or other statutory/ regulatory approval, if any whichever is later. GoI's (Promoter) shareholding in the Bank is 71.72%. In terms of Rule 19A of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957 read with clause 40A of the Listing Agreement, Promoters' shareholding in a Public Sector Company is permissible upto a limit of 90% of the share capital.

2. Moreover, the specific disclosures relating to the Preferential Allotment as prescribed under clause 73 of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009 to be made to the shareholders in the Explanatory Statement annexed to the Shareholders' notice are submitted herein-below for information of the shareholders:

Clause No.	Disclosure to be made	Compliance
73(1)(a)	**The objects of the Preferential Issue**	To augment the capital adequacy of the Bank computed in terms of the guidelines issued by Reserve Bank of India from time to time.
73(1)(b)	**The proposal of the Promoters, Directors or Key Managerial Personnel of the Issuer to subscribe to the offer.**	The promoter, Govt. of India has, vide letter dated October 22, 2013 conveyed its intention to infuse capital to the tune of ₹ 1,800 crore in IDBI Bank Limited during FY 2013-14. It is likely that GoI may further enhance its capital infusion upto additional ₹ 500 crore.
73(1)(c)	**The shareholding pattern of the Issuer before and after the Preferential Issue.**	Pre Preferential Issue Shareholding Pattern of IDBI Bank Ltd. (as on October 25, 2013):

	No. of Shares	% age
Promoters (GoI)	955852609	71.72
Others	376920638	28.28
Total	1332773247	100.00

The Post Preferential issue shareholding percentage of GoI will increase depending upon actual number of shares to be allotted to them in terms of this Special Resolution which in turn will depend upon the price of the share which will be computed as per SEBI (ICDR) Regulations, 2009 as on the Relevant Date of November 22, 2013 vis-à-vis the amount of actual subscription upto ₹ 2,300 crore from Govt. of India (inclusive of premium amount) and that cannot be exactly determined before issue of this notice dated October 30, 2013.

धारा सं.	किया जाने वाला प्रकटन	अनुपालन
73(1)(डी)	**अधिमान्य निर्गम का कार्य कितने समय में पूरा कर लिया जाएगा**	अधिमान्य निर्गम का कार्य विशेष संकल्प पारित होने से 15 दिन के भीतर अर्थात् 24 दिसंबर 2013 से 15 दिन के भीतर अथवा अधिमान्य निर्गम के संबंध में भारत सरकार तथा / या किसी अन्य सांविधिक / विनियामक निकाय से लंबित अनुमोदन, यदि कोई हो, के प्राप्त होने से 15 दिन के भीतर, जो भी पहले हो, पूरा कर लिया जाएगा.
73(1)(ई)	**प्रस्तावित आबंटितियों की पहचान, उनके द्वारा धारित की जाने वाली निर्गम पश्चात् अधिमान्य धारिता का प्रतिशत और अधिमान्य निर्गम के परिणामस्वरूप नियंत्रण में बदलाव, यदि कोई हो.**	केवल भारत सरकार को शेयर आबंटित करने का प्रस्ताव है. अधिमान्य निर्गम के बाद भारत सरकार की शेयरधारिता इस अधिमान्य निर्गम के प्रति उनके द्वारा किये जानेवाले अभिदान की वास्तविक राशि की तुलना में 22 नवंबर 2013 की संगत तारीख के अनुसार सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के अध्याय VII के अंतर्गत गणना किये अनुसार उन्हें आबंटित शेयरों की वास्तविक संख्या पर निर्भर करेगी. प्रस्तावित अधिमान्य आबंटन से बैंक के नियंत्रण में कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि प्रवर्तक भारत सरकार प्रमुख शेयरधारक होने के नाते बैंक का नियंत्रक बना रहेगा. बैंक में भारत सरकार की वर्तमान शेयरधारिता 71.72% है और सूचीबद्धता करार की धारा 40ए के साथ पठित प्रतिभूति संविदा (विनियम) नियम, 1957 के नियम 19ए के अनुसार शेयरधारिता का यह प्रतिशत 90% तक अनुमत है.
73(1)(एफ)	**यह वचन कि इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार जहां भी जरूरी हो, निर्गमकर्ता विशिष्ट प्रतिभूतियों के मूल्य की पुनः गणना करेगा.**	बैंक यह वचन देता है कि वह सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के प्रावधानों की शर्तों के अनुसार जहां भी जरूरी होगा, वहां विशिष्ट प्रतिभूतियों के मूल्यों की पुनः गणना करेगा.
73(1)(जी)	**यह वचन कि यदि मूल्य की पुनर्गणना के आधार पर राशि का भुगतान इन विनियमों में निर्दिष्ट समय के भीतर नहीं किया जाता है तो विशिष्ट प्रतिभूतियों को आबंटितियों द्वारा इनकी राशि का भुगतान करने तक लॉक्ड-इन रखा जाएगा**	बैंक यह वचन देता है कि यदि मूल्य की पुनर्गणना के आधार पर देय राशि का भुगतान सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 की शर्तों के अनुसार निर्दिष्ट समय में नहीं किया जाता है तो आबंटिती (यों) द्वारा इस राशि का भुगतान करने तक विशिष्ट प्रतिभूतियों को लॉक्ड-इन रखा जाएगा.

Clause No.	Disclosure to be made	Compliance
73(1)(d)	**The time within which the Preferential Issue shall be completed.**	The Preferential Allotment shall be completed within 15 days from the date of passing of special resolution, i.e., within 15 days from December 24, 2013 or within 15 days of the receipt of pending approval, if any, from GoI and/ or any other statutory/ regulatory body in respect of the Preferential Issue, whichever is later.
73(1)(e)	**The identity of the proposed allottees, the percentage of post preferential issue capital that may be held by them and change in control, if any, in the Issuer consequent to the preferential issue.**	Shares are proposed to be allotted to GoI only. Post preferential issue, the shareholding of GoI will depend upon actual number of shares to be allotted to them as computed under Chapter VII of SEBI (ICDR) Regulations, 2009 as on the Relevant Date of November 22, 2013 vis-à-vis the amount of subscription to be made by GoI towards this preferential issue. The proposed preferential allotment will not result in any change in control of the Bank as Govt. of India, the Promoter, will remain in control of the Bank, being major shareholder. Present shareholding percentage of GoI in the Bank is 71.72% and in terms of Rule 19A of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957 read with clause 40A of the listing agreement, this shareholding percentage is permissible upto 90%.
73(1)(f)	**An undertaking that the Issuer shall re-compute the price of the specified securities in terms of the provisions of these regulations where it is required to do so.**	The Bank undertakes to re-compute the price of the specified securities in terms of the provisions of SEBI (ICDR) Regulations, 2009, where it is required to do so.
73(1)(g)	**An undertaking that if the amount payable on account of the re-computation of the price is not paid within the time stipulated in these regulations, the specified securities shall continue to be locked in till the time such amount is paid by the allottees.**	The Bank undertakes that if the amount payable on account of the re- computation of the price is not paid within the time stipulated in SEBI (ICDR) Regulations, 2009, the specified securities shall continue to be locked-in till the time such amount is paid by the allottee(s).

धारा सं.	किया जाने वाला प्रकटन	अनुपालन
73(2)	**सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रमाण पत्र की एक प्रति शेयरधारकों की महासभा में रखना जिसमें यह प्रमाणित करने पर विचार किया गया हो कि प्रस्तावित अधिमान्य निर्गम इन विनियमों में की गई अपेक्षाओं के अनुसार किया गया है.**	जिस मूल्य पर भारत सरकार को ईक्विटी शेयर जारी किये जाएंगे उसकी गणना सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 की धारा 76(1) के अंतर्गत की जाएगी. ईक्विटी शेयरों के मूल्य निर्धारण के लिए संगत तारीख 22 नवंबर 2013 होगी. यह वह तारीख है जो 24 दिसंबर 2013 से 30 दिन पूर्व है जो इसके अधीन सम्बद्ध नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 192ए के अनुसार विशेष संकल्प पारित करने की मान्य तारीख है. उपर्युक्त को तथा इस तथ्य को देखते हुए कि विशेष संकल्प कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 192ए के तहत डाक मतपत्र प्रक्रिया के माध्यम से पारित किया जाएगा, सेबी (आईसीडीआर) विनियम 2009 की धारा 73(2) के अंतर्गत अपेक्षित लेखा-परीक्षक का प्रमाणपत्र 22 नवंबर 2013 की संगत तारीख के बाद जारी किया जाएगा और इस प्रकार डाक मतपत्र के तहत वोटिंग पूरी होने की तारीख तक किसी भी कार्यदिवस को सुबह 10.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे के बीच बैंक के पंजीकृत कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा. उक्त अवधि के दौरान लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र बैंक की वेबसाइट www.idbi.com पर भी प्रदर्शित किया जाएगा.
73(3)	**निर्गम की राशि**	ईक्विटी शेयर भारत सरकार से प्राप्त नकद राशि पर जारी किये जाएंगे.

निदेशक मंडल ने इस संबंध में एक विशेष संकल्प पारित करके उपर्युक्त प्रयोजन के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन चाहा है.

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के निबंधनों के अनुसार, यह उल्लिखित है कि बैंक का कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी बैंक में अपनी शेयरधारिता, यदि कोई है, की सीमा के सिवाय उपरोक्त संकल्प को पारित कराने में, वित्तीय या अन्य रूप में, संबद्ध या हितबद्ध नहीं हैं.

बोर्ड के आदेश से
कृते **आईडीबीआई बैंक लिमिटेड**

स्थान : मुंबई
दिनांक : 30 अक्तूबर 2013

(पवन अग्रवाल)
कंपनी सचिव

Clause No.	Disclosure to be made	Compliance
73(2)	**To place a copy of the certificate of statutory auditors before the general meeting of the shareholders, considering the proposed preferential issue certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of these regulations.**	The price at which the equity Shares would be issued to GoI would be as computed under clause 76(1) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009. The Relevant Date for the purpose of pricing of the Equity Shares, shall be November 22, 2013, the date which is 30 days prior to December 24 2013 which is deemed to be the date of passing the Special resolution in accordance with Section 192A of the Companies Act, 1956 read with the relevant rules made thereunder. In view of the above and the fact that Special Resolution will be passed through the Postal Ballot route under section 192A of the Companies Act, 1956, the Auditors' Certificate required under Clause 73(2) of the SEBI (ICDR) Regulations 2009 will be issued after the Relevant Date of November 22, 2013 and would, thus, be made available for inspection thereafter at the Registered Office of the Bank between 10 a.m. and 3 p.m. on any working day upto the date of completion of voting under Postal Ballot. The Auditors' Certificate will also be displayed on the website of the Bank - www.idbi.com during the aforesaid period.
73(3)	**Consideration for the Issue**	The equity shares will be issued against receipt of consideration in cash from GoI.

The shareholders' approval is sought by the Board of Directors for the above purpose by passing a special resolution in this regard.

In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it is submitted that none of the Directors or Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives is concerned or interested, financial or other, in the passing of the aforesaid resolution except to the extent of their shareholding, if any, in IDBI Bank.

By Order of the Board,
For **IDBI Bank Limited**

Place: Mumbai
Dated: October 30, 2013

(Pawan Agrawal)
Company Secretary

IDBI BANK

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

IDBI BANK LIMITED

पंजीकृत कार्यालयः आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड, मुंबई - 400 005
Regd. Office: IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade,
Mumbai-400 005. Website: www.idbi.com

डाक मतपत्र फॉर्म
POSTAL BALLOT FORM

क्र.सं. Sr. No.

1. एकल / प्रथम शेयरधारक का नाम एवं पता :
 Name & Address of Sole / First Shareholder :

2. संयुक्त शेयरधारक(कों), यदि कोई हैं, के नाम :
 Name(s) of Joint Shareholder(s), if any :

3. रजिस्टर्ड फोलियो सं. / डीपी आईडी सं. / ग्राहक आईडी सं. :
 Registered Folio No./DP ID No./ Client ID No. :

4. धारित शेयरों की संख्या :
 Number of Shares held :

मैं / हम बैंक की दिनांक 30 अक्तूबर, 2013 की डाक मतपत्र सूचना में उल्लिखित कारोबार के लिए डाक मतपत्र के जरिए पारित किये जाने वाले विशेष संकल्प के संबंध में नीचे दिये गये उपयुक्त खानों में (✓) चिह्न लगाकर उपर्युक्त संकल्प के प्रति अपनी सहमति या असहमति सूचित करके एतद्द्वारा अपना/अपने वोट देता/देती/देते हूं/हैं.

I/We hereby exercise my/our vote in respect of the Special Resolution to be passed through Postal Ballot for the business stated in the Postal Ballot Notice dated October 30, 2013 of the Bank by conveying my/our assent or dissent to the said Resolution by placing the tick (✓) mark at the appropriate box below. :

मद सं. Item No.	विवरण/Description	शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों की संख्या No. of Shares held by Shareholder	मैं/हम इस संकल्प से सहमत हूं/हैं (पक्ष में) I/We assent to the Resolution (For)	मैं/ हम इस संकल्प से सहमत नहीं हूं/हैं (विरोध में) I/We dissent to the Resolution (Against)
1.	प्रीमियम राशि सहित कुल ₹ 2,300 करोड़ तक की राशि के लिए भारत सरकार को बैंक के ईक्विटी शेयरों के अधिमान्य आबंटन के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 81(1ए) के अंतर्गत विशेष संकल्प Special Resolution under Section 81(1A) of the Companies Act, 1956 for Preferential Allotment of Equity Shares of the Bank to Govt. of India aggregating upto ₹ 2,300 crore inclusive of premium amount.			

स्थान :
Place :

दिनांक :
Date :

(शेयरधारक के हस्ताक्षर)
(Signature of the Shareholder)
(केवल भौतिक मतदान के मामले में)
(Only in case of physical voting)

इलेक्ट्रॉनिक मतदान विवरण
ELECTRONIC VOTING PARTICULARS

ईवीईएन (ई वोटिंग इवेंट नंबर) EVEN (E Voting Event Number)	प्रयोक्ता आईडी User ID	पासवर्ड / पिन Password / PIN

टिप्पणी : कृपया फॉर्म भरने से पूर्व इसके दूसरे पृष्ठ पर छपे अनुदेशों को ध्यान से पढ़ लें.
संवीक्षक को डाक मतपत्र फॉर्म प्राप्त होने की अंतिम तारीख शुक्रवार, 20 दिसम्बर 2013 है.

NOTE: Kindly read the instructions printed overleaf before filling the form.
Last date for receipt of postal Ballot Forms by Scrutinizer is Friday, December 20, 2013

11/13
www.sapprints.com

अनुदेश
INSTRUCTIONS

1 डाक मतपत्र के जरिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के इच्छुक शेयरधारक इस डाक मतपत्र फॉर्म को भरें और हस्ताक्षर करें तथा उसे संलग्न पता लिखे डाक व्यय पूर्वदत्त लिफाफे में रखकर संवीक्षक को भेज दें. डाक खर्च बैंक उठाएगा और उसका भुगतान करेगा. यदि ऐसे मतपत्र वाले लिफाफे व्यक्तिगत रूप में जमा किए जाते हैं अथवा शेयरधारकों के खर्च पर कुरियर से भेजे जाते हैं तो वे भी स्वीकार किए जाएंगे.

A Shareholder desiring to exercise his/her vote by Postal Ballot should complete this Postal Ballot form, sign and send it to the Scrutinizer in the attached self-addressed postage pre paid envelope. Postage will be borne and paid by the Bank. Envelopes containing Postal Ballots, if deposited in person or sent by courier at the expenses of the shareholders will also be accepted.

2 पता लिखे लिफाफे पर बैंक के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त किए गए संवीक्षक का नाम और डाक मतपत्र भेजने का पता अंकित है.

The self-addressed envelope bears the name of the Scrutinizer appointed by the Board of Directors of the Bank and the address at which the Postal Ballot Form is to be sent.

3 डाक मतपत्र फॉर्म शेयरधारकों द्वारा पूर्ण रूप से भरा और हस्ताक्षरित होना चाहिए. संयुक्त शेयरधारिता के मामले में, यह फॉर्म प्रथम नामित शेयरधारक द्वारा भरा और हस्ताक्षरित (बैंक के पास पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुरूप) होना चाहिए और यदि वह अनुपस्थित हो तो अगले नामित शेयरधारक(कों) द्वारा भरा और हस्ताक्षरित होना चाहिए. बिना हस्ताक्षर वाले डाक मतपत्र फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे.

The Postal Ballot form should be completed and signed by the Shareholders. In the case of joint share holding, this form should be completed and signed (as per the specimen signature registered with the Bank) by the first named shareholder and in his absence, by the next named shareholder(s). Unsigned Postal Ballot forms will be rejected.

4 जहां डाक मतपत्र फॉर्म किसी निगमित निकाय के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित हैं वहां डाक मतपत्र फॉर्म के साथ वोट करने से संबंधित प्राधिकरण की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाए. सदस्य इस उद्देश्य के लिए विशेष तौर पर नियुक्त अटर्नी द्वारा भी फॉर्म पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, ऐसे मामले में डाक मतपत्र फॉर्म के साथ मुख्तारनामे की अनुप्रमाणित सत्य प्रति संलग्न होनी चाहिए.

Where the Postal Ballot Form has been signed by an Authorized Representative of a body corporate, a certified copy of the relevant authorizations to vote on the Postal Ballot should accompany the Postal Ballot Form. A member may sign the Form through an Attorney appointed specifically for this purpose, in which case an attested true copy of the Power of Attorney should be attached to the Postal Ballot Form.

5 विधिवत भरे हुए डाक मतपत्र फॉर्म शुक्रवार, दिनांक 20 दिसंबर 2013 को शाम 6.00 बजे तक संवीक्षक के पास पहुंच जाने चाहिए. इस समय और तारीख के बाद प्राप्त डाक मतपत्र फॉर्म के बारे में यह माना जाएगा कि शेयरधारक से जवाब प्राप्त नहीं हुआ है.

Duly completed Postal Ballot Forms should reach the Scrutinizer not later than 6 p.m. on Friday, December 20, 2013. Any Postal Ballot Form received after this time and date will be treated as if the reply from the Shareholder has not been received.

6 यदि आवश्यक हो तो शेयरधारक डुप्लीकेट डाक मतपत्र फॉर्म के लिए अनुरोध कर सकते हैं. तथापि, पूर्ण रूप से भरा हुआ डुप्लीकेट डाक मतपत्र फॉर्म ऊपर मद सं. 5 में निर्दिष्ट समय एवं तारीख तक संवीक्षक के पास पहुंच जाना चाहिए.

A shareholder may request for a duplicate Postal Ballot Form, if so required. However the duly filled in duplicate Postal Ballot Form should reach the Scrutinizer not later than the time and date specified at Item No.5 above.

7 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के अधीन मताधिकार की गणना निर्दिष्ट तारीख अर्थात् शुक्रवार, दिनांक 08 नवंबर 2013 को शेयरधारक के नाम से पंजीकृत शेयरों के प्रदत्त मूल्य के आधार पर की जाएगी जो कि इस प्रयोजन हेतु कट-ऑफ तारीख के रूप में तय की गई है.

Voting rights will be reckoned on the paid-up value of shares registered in the name of the Shareholder on Friday, November 08, 2013, which is the cut-off date fixed for this purpose, subject to the provisions of the Banking Regulation Act, 1949.

8 शेयरधारकों से अनुरोध है कि पता लिखे डाक व्यय पूर्वदत्त संलग्न लिफाफे में डाक मतपत्र फॉर्म के साथ अन्य कोई कागज़ात न भेजें क्योंकि इस तरह के सभी लिफाफे संवीक्षक के पास भेज दिए जाएंगे और ऐसे लिफाफे में रखा गया कोई अन्य कागज़ात संवीक्षक द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा.

Shareholders are requested not to send any other paper along with the Postal Ballot Form in the enclosed self-addressed postage pre-paid envelope in as much as all such envelopes will be sent to the Scrutinizer and any extra paper found in such envelope would be destroyed by the Scrutinizer.

9 प्रत्येक फोलियो के लिए केवल एक ही डाक मतपत्र फॉर्म होगा चाहे संयुक्त शेयरधारकों की संख्या कितनी भी हो.

There will be only one Postal Ballot Form for every folio irrespective of the number of joint Shareholder(s).

10 शेयरधारक को सभी वोटों का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है और न ही उसे सभी वोट एक ही तरीके से देने की आवश्यकता है.

A Shareholder need not use all the votes nor does he need to cast all the votes in the same way.

11 डाक मतपत्र फॉर्म की वैधता पर संवीक्षक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा.

The Scrutinizer's decision on the validity of a Postal Ballot will be final and binding.

12 अपूर्ण, अहस्ताक्षरित या अशुद्ध डाक मतपत्र फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे.

Incomplete, unsigned or incorrect Postal Ballot Forms will be rejected.

13 डाक मतपत्र द्वारा परिणाम की घोषणा की तारीख विशेष संकल्प के पारित होने की तारीख के रूप में ली जाएगी.

The date of declaration of the result of Postal Ballot will be taken to be the date of passing of the special resolution.

14 डाक मतपत्र के परिणाम की घोषणा मंगलवार, दिनांक 24 दिसंबर 2013 को अध्यक्ष द्वारा की जाएगी और उसे बैंक की वेबसाईट www.idbi.com पर प्रदर्शित और समाचार-पत्रों में भी विज्ञापित किया जाएगा.

The result of the Postal Ballot shall be declared by the Chairman on Tuesday, December 24, 2013 and displayed on the Bank's website www.idbi.com and shall also be advertised in the newspapers.

15 डाक मतपत्र से मतदान के अधिकार का प्रयोग प्रॉक्सी द्वारा नहीं किया जा सकता है.

The right of voting by Postal Ballot shall not be exercised by a Proxy.

16 **बैंक ने अपने सभी शेयरधारकों को डाक द्वारा मताधिकार का प्रयोग करने के बजाय इलेक्ट्रॉनिक रूप में मतदान करने के लिए ई-वोटिंग की वैकल्पिक सुविधा भी प्रदान की है. ई-वोटिंग वैकल्पिक है. ई-वोटिंग से संबंधित विस्तृत प्रक्रिया डाक द्वारा मतदान की सूचना की टिप्पणियों के रूप में दी गई है.**

The Bank is pleased to offer e-voting facility as an alternate, for all the Shareholders of the Bank to enable them to cast their votes electronically instead of dispatching Postal Ballot Form. E-Voting is optional. The detailed procedure regarding e-voting is enumerated in the Notes to the Postal Ballot Notice.